छत्तीसगढ़ विधान सभा

जुलाई–अगस्त, 2010 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 28 जुलाई, 2010 (श्रावण 6, 1932)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005) की धारा 25 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009 पटल पर रखेंगे.

(2) सुश्री लता उसेंडी, समाज कल्याण मंत्री, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 (क्रमांक 56 सन् 2007) की धारा 32 की उपधारा (3)की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक/ एफ-1-3/2010/स.क./26, दिनांक 7 मई,2010 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण नियम, 2009 पटल पर रखेंगी.

3. प्राक्कलन समिति में रिक्त हुए एक स्थान की पूर्ति हेतु सदस्य का निर्वाचन

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -

"सभा के सदस्यगण, विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम- 223 के उप नियम (2) की अपेक्षानुसार वित्तीय वर्ष 2010-2011 की शेष अवधि के लिए प्राक्कलन समिति में रिक्त हुए एक स्थान की पूर्ति के लिए अपने में से एक सदस्य के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों।"

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य, प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत गुणवत्ताविहीन सड़कों का निर्माण किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री देवजी पटेल, सदस्य, महानदी में बैराज निर्माण हेतु निविदा आमंत्रण में अनियमितता किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

5. वर्ष 2010-2011 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, वर्ष 2010-2011 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) सुश्री लता उसेंडी, समाज कल्याण मंत्री, छत्तीसगढ़ निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 17 सन् 2010) के पुर:स्थापन का प्रस्ताव करेंगी तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगी.

(2) श्री रामविचार नेताम, विधि और विधायी कार्य मंत्री, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 18 सन् 2010) के पुर:स्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

रायपुर
दिनांक 27 जुलाई,2010

देवेन्द्र वर्मा
सचिव.